न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, जनपद श्रावस्ती।

Criminal Misc. Cases 109/2026

रामधनी बनाम तबल्लुक आदि

दिनांक 03–08–2026

पुकार पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 11–08–2026 को पेश हो।

अवनीश गौतम,
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
जनपद श्रावस्ती।

दिनांक 11–08–2026

पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर सुना जा चुका है।

आवेदक रामधनी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विरूद्ध विपक्षीगण तबल्लुक, कटटू, सिराज, समीउल्ला व बदरूल इन कथनो का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी अनुसूचित जाति चमार व्यक्ति है। प्रार्थी की आबादी ग्राम मछरिहवा तहसील भिनगा जनपद श्रावस्ती की गाटा संख्या 581 में रकबा 0.0120 हे0 भूमि का आवासीय पटटा वर्ष 1999 में मिला था जिस पर प्रार्थी ने दो कमरे का मकान बनवाया तथा आगे कुछ भूमि सहन के रूप में खाली छोड़ दिया था विपक्षी संख्या 1 तबल्लुक ने प्रार्थी से निवेदन करके चक्की लगाने हेतु ले लिया और कहा कि जल्द ही अपनी जमीन खरीद कर आपकी जमीन से चक्की हटा लेंगे कुछ दिन बाद जब प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 1 से चक्की हटाने को कहा तो विपक्षी ने चक्की बेचकर प्रार्थी के उक्त मकान में जबरदस्ती कब्जा करके रहने लगा। प्रार्थी ने उक्त जमीन व मकान खाली करने हेतु दिनांक 10–06–2026 को समय करीब 6.00 बजे विपक्षी संख्या 1 से निवेदन किया तो विपक्षी संख्या 1 ने भददी भददी जातिसूचक गाली दिया औन अन्य विपक्षीगण आ गये गाालियां देने लगे तथा लात मुक्का थप्पड़ व लाठी डण्डे से मारने लगे। शोर सुनकर सीताराम, व काशीराम तथा गांव के तमाम लोग इकटठा हो गये बीच बचाव कराया। विपक्षीगण जाते समय जातिसूचक गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दिये। घटना के सम्बन्ध में थाना हाजा पर प्रार्थना पत्र दिया कोई कार्यवाही न होने पर दिनांक 18–06–2026 को जरिये डाक पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया

कोई सुनवाई न होने पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। तदनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर विवेचना कराये जाने की याचना की।

अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में आवेदक द्वारा सूची के माध्यम से रजिस्टी रसीद, पुलिस अधीक्षक को भेजे गये पत्र की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति एवं अन्य सूची से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें आवेदक को चमार जाति का बताते हुए उसे अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया है।

थाने से इन कथनों की आख्या प्रस्तुत की गयी है कि उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वादी का कथन है कि गाटा संख्या 581 रकबा 0.0120 हे0 भूमि मे वर्ष 1999 मं उसे आवासीय पटटा मिला था जिसपर उसने मकान बनाकर व आहाता बनाकर विपक्षीगण को चक्की लगाने हेतु दे दिया था। परन्तु विपक्षीगण बाद में जब आवेदक ने चक्की हटाने को कहा तो विपक्षीगण ने चक्की बेचकर मकान पर कब्जा करने की कोशिश की जिसके कारण दिनांक 10–06–2026 को समय 6 बजे शाम आवेदक के साथ गाली गालौल व मारपीट किया। माननीय उच्च न्यायालय ने रमेश चन्द्र भाटिया बनाम उत्तर प्रदेश राजय व अन्य, 2013 (1) एम0 एच0–एन0 आर0 (डीओसी)–22, क्रिमिनल मिसलीनियस अप्लीकेशन संख्या 2103/2010 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि पक्षकारों के मध्य विवाद सिविल प्रकृति का है तब दाण्डिक अभियोजन चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे अभियुक्त को क्लेष होगा और न्यायालय का समय बरबाद होगा।

इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था इन्द्रमोहन गौस्वामी व अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य व अन्य, 2007–12 ए0सी0सी0 में प्रतिपादित विधि व्यवस्था के अनुसार यदि प्रकरण में प्रथम दृष्टया सिविल न्यायायल में उपचार उपलब्ध है तब उसे आपराधिक आवरण से आच्छादित किया जाना विधि की दुरूपयोगिता होगी।

वर्तमान प्रकरण में भी स्वयं प्रार्थना पत्र के अनुसार मामला सिविल प्रकृति का प्रतीत होता है जिसे फौजदारी रंगत देने के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिया गया है। अतः उपरोक्त विधि व्यवस्थओं के प्रकाश में विवेचित तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता निराधार होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना अन्तर्गत धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता निरस्त किया जाता

है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

(अवनीश गौतम)
अतिरक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, श्रावस्ती।